तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डॉ. चन्द्र भानु राजपुरोहित, एडवोकेट 417–बी, बापू नगर, (विस्तार) आई.जी. पब्लिक स्कूल के पीछे, पाली (राजस्थान) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 86/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/324 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

04/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 03.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./352/2021/1848 दिनांक 7.12.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से इस कार्यालय के जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./352/2021/1459 दिनांक 13.09.2021 के उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ. /352/2021/1642 दिनांक 26.10.2021 के प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा ने जरिये पत्रांक 5374 दिनांक 11.11.2021 के सूचना इस कार्यालय को भिजवाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 1764 दिनांक 24.11. 2021 द्वारा आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली ने वांछित सूचना राजस्व शाखा/सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा व सामान्य शाखा को निर्देशित किया गया। इस पर सामान्य शाखा से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त कर अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है। तथा राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट पाली से संबंधित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 04/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली